(25)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – ~~/2019~~ निगरानी -6547/2018/उज्जैन/भू.रा.

प्रार्थी अभिभाषक श्री म०आर० यादव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 10/12/18
अधीक्षक 10-12-18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

शोभाराम पिता देवीसिंह, जाति भील
कृषक ग्राम भीलसुड़ा तहसील नागदा जिला
उज्जैन, निवासी श्रीकृष्ण कालोनी अंकपात
उज्जैन म.प्र. -- **आवेदक**

विरूद्ध

बद्रीलाल पिता नंदा, निवासी ग्राम भीलसुड़ा
तहसील नागदा जिला उज्जैन -- **अनावेदक**

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

622
10/12/18

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्र.क्र. 1127/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 15–10–2018 से असंतुष्ट एवं दंखित होकर निम्न कारणों के आधार पर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान के विपरीत होने एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है व प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित विधिक आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है।

3. यह कि, अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि कि है कि सीमांकन के सूचना पत्र में अपीलार्थी का नाम ही अंकित नहीं है अपीलार्थी न तो सरहदी कृषक है और ना ही उसके द्वारा भूमि पर कब्जा कैसे व किस प्रकार से प्राप्त किया है इसी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

11

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6547/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01/08/2019	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 15.10.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को नहीं है। उक्त तथ्य के आधार पर यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **(महेश चन्द्र चौधरी)** **सदस्य**	